न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–15/2022 दायर दिनांक:– 01.02.2022

जीसीएमएस नं. 2022/23

1. बाबूलाल आयु 68 साल
2. काडू आयु 60 साल
3. मनोहरी आयु 55 साल
4. रामसहाय आयु 58 साल

पुत्रगण भोरया, जाति–मीना, निवासी–झारेडा तहसील–हिण्डौन सिटी, जिला–करौली

———सायल

बनाम

1. बद्री पुत्र श्री जय लाल आयु 70 साल
2. शिवजी पुत्र बद्री उम्र 58 साल
3. दीना पुत्र बद्री उम्र 52 साल
4. रामफल पुत्र जय लाल आयु 55 साल
5. जीतेश पुत्र रामफल आयु 55 साल
6. सुरेन्द्र उम्र 32 साल पिसरान शिवजी
7. विनोद उम्र 28 साल

जाति–मीना, निवासी–खेडी घाटम, तहसील–श्रीमहावीरजी जिला–करौली, राज0

———गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –1.श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता सायलान
2 श्री देवीसिंह अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक:– 15.04.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 244 व खाता संख्या पुराना 233 के अनुसार आराजीयात खसरा नम्बर 547 रकवा 0.09 ऐयर बारानी–2, खसरा नम्बर 548 रकवा 0.20 ऐयर कुल [illegible] वाके ग्राम खेडी घाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0 में स्थित [illegible]

आराजीयात मुतजिका [illegible] में सायल सं0 1 बाबूलाल 1/12 हिस्से का, सायल सं0–2 काडू 1/12 [illegible] नं0–3 मनोहरी 1/12 [illegible] का तथा सायल सं0–4 रामसहाय 1/12 हिस्से का खा[illegible]र कास्तकार है और अपने [illegible] यानि उक्त भूमि के 1/4 भाग पर काबिज व दखील चले आ रहे हैं।

सायला ने अपनी उक्त आराजीयात को मेहनत करके व धन खर्च करके उपजाऊ बनाया है, सायलान की उक्त आराजीयात इस समय वेश कीमती आराजीयात है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned with CamScanner

सायला ने सन 1988 में खातेदार नरेश, रवि, रिंकीबाई, लोकेश, हरिओम पुत्रगण रामप्रसाद के पिता खातेदार रामप्रसाद से उसके हिस्से की आराजीयात को जरिये 3 रूपये के स्टाम्प पर खरीद करलिया था। तभी से सन् 1988 से ही सायला ने उक्त जमीन को निरन्तर बिना किसी रोक–टोक के शांति पूर्वक उपयोग–उपभोग काश्त करते चले आ रहे है।

सायला ने अपने उपरोक्त आराजीयात मुतजिका मद नं0–2 प्रार्थना–पत्र में अपने हिस्से की जमीन में फसल सरसों व चना काश्त कर रखे हैं, जो कि मौके पर सरसब्ज हालत में खडी हुयी है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

गैरसायलान का या अन्य किसी व्यक्ति का सायलान की उक्त आराजीयात से कोई लेना देना किसी प्रकार का किसी भी रूप में नहीं है। गैरसायलान की नियत में बदयान्ति है और गैरसायलान जबरन सायलान को अपनी आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है, खेडी घाटम तहसील श्रीमहावीरजी व तहसील हिण्डौन की सीमाऐं यानी दोनो गॉवों की मेडों का डिमार्केशन हमारे खेतों व अन्य खेतों की हो रही है। गैरसायलान का हमारी जमीन से व हमारी मेडों की जमीन से कोई लेना देना नहीं है।

गैरसायलान अवैध मिट्टी का व खनन का काम करते हैं और हमारे खेतों में घुस कर हमारी फसल को नष्ट करना चाहते हैं और मिट्टी उठाना चाहते है। गैरसायलान का हमारी जमीन से व डोल मेडों की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। गैरसायलान लाठी वाले पैंसे वाले , आदमी वाले व्यक्ति हैं जोकि अवैध खनन का काम करते है।

घटना दिनांक 29.01.2022 को समय करीब दिन के 11 बजे की है कि सायलान अपनी उक्तआराजीयात मुतजिका मदनं0–2 प्रार्थना पत्र में खडी फसल की साल संभलकर रखवाली कर रहे थे कि गैरसालान अपने हाथों में गैंती, फावडे आदि ले लेकर आये और सायलान की डौल मेढों को तोडने लगे और सायलान की जमीन में फसल पर मिट्टी डालकर नष्ट करने लगे तो सायलान ने मना किया कि भाईयों आप लोग यह क्या कर रहे हो, हमारी मेडों को मत तोडो और मिट्टी को मत उठाओ, इस पर गैरसायलान नाराज हो गये और कहने लगे कि हम तुमको तुम्हारे हिस्से की जमीन से जबरन बेदखल कर देंगे, तुम्हारी डौल मेढों को तोड देंगे, तुम्हारी फसल को बरबाद कर देंगे, तुम्हारे खेतों की डौल मेढों को नष्ट कर देंगे। सालान ने गैरसायलान को काफी समझाया तथा हाथा जोडी की, तथा गण्मान्य व्यक्तियों से भी समझवाया लेकिन गैरसायलान न अपनी हठधर्मी पर आमादा है, तथा अज खुद मानने को भी तैयार नहीं है। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकतों से सफल हो गये तो सायलान को अपूर्ततीय क्षति हो जावेगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नहीं हो सकेगी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। उपरोक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टीआई पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है, यदि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायलान के ही पक्ष में है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि आराजीयात मुतजिका मद नं0–2 प्रार्थना पत्र खसरा नं0 547 रकवा 0.09 ऐयर, 548 रकवा 0.20 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 0.29 है0 वाके ग्राम खेडी घाटम तहसील श्रीमहावीरजी को सायलान को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, सायलान को उनके हिस्से की आराजीयात से जबरन बेदखल ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें। सायलान की उक्त आराजीयात ... की डौल मेढको नहीं तोडें और सायलान की यानि गॉव की मेडो पर से ... अवैध मिट्टी का खनन कार्य नहीं करें। सायलान की खडी फसल को नष्ट ना करें ... ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें जिससे सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचती हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:55 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये अप्रार्थीगण की वाद तामील नोटिस प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये गये, अप्रार्थीगण की ओर से श्री देवीसिंह अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरंण मे अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जबाव प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned with CamScanner

पत्र पेश किया। जबाव शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई, सायलान वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। गैरसायलान के अधिवक्ता द्वारा उक्त बिन्दुओं को नकारते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि उक्त विवादित आराजी की खातेदारी की भूमि से अप्रार्थीगण का संलग्न राजस्व दस्तावेजों जमावंदी संवत 2071–74 के, खाता संख्या 244 के आधार पर कोई संबंध व ताल्लुक नहीं है, प्रतिवादीगण/गैरसायलान उक्त भूमि में सहखातेदार नहीं होने पर भी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। चूंकि उक्त प्रकरण का निस्तारण मूल वाद के निर्णय पर होगा तब तक उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका की स्थिति ताफैसला बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 15.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner